तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18 11/21	... स्थानान्तरण / भ्रमण / कैम्प पर होने ... 31-12-21 को पेश हो Ray
31 12/21	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 11-03-22 ....को पेश हो Ray
11 03/22	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर हो... 30.03.2022 पेश हो Ray
30 03/22	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष ने बहस का निवेदन किया। उभयपक्ष की आपत्ति प्रा.पत्र व वादपत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20.04.2022 को पेश हो।
20 04/22	पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र आपत्ति P.D. रिपोर्ट व वाद-पत्र हेतु पेश हुई। पत्रावली व प्रस्तुत आपत्ति प्रा.पत्र एवं जवाब प्रा.पत्र का अवलोकन किया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया जाकर आपत्ति बाबत तकासमा रिपोर्ट खारिज किया गया एवं वाद वादी अन्तिम डिक्री किया गया। निर्णय पृथक से लिखवाया गया जो शामिल मिसल है। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नकल से कम हो। उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

दावा संख्या–113/2017
वाद प्रस्तुति दिनांक–24.07.2017
निर्णय दिनांक–20.04.2022

नन्दकिशोर पुत्र ग्यारसीलाल जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र ग्यारसीलाल जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. रामजीलाल पुत्र ग्यारसीलाल जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. सीता बेवा ग्यारसीलाल जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. सूरज पुत्र उद्दा जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. बोदीराम पुत्र उद्दा जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. गोपी पुत्र उद्दा जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. कजोड़मल पुत्र उद्दा जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. किशनलाल पुत्र उद्दा जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
9. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक राज0

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी–श्री विवके चौधरी
प्रतिवादीगण–श्री नन्दकिशोर शर्मा

दावा बाबत् तकासमा आराजीयात

अन्तर्गत धारा 53 रा.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 1375, 1376 कुल किता 02 कुल रकबा 05–04 बीघा वाके ग्राम पीपलू पटवार हल्का पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें 1/12 हिस्सा वादी का है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त वर्णित खातेदारी की आराजीयात का पक्षकारान के बीच विधिवत विभाजन नहीं हो रखा है। जिसकी वजह से पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि कुछ पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन हो रहा है। कुछ पक्षकार अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काश्त कर रहे है और कुछ कम हिस्से पर। प्रतिवादीगण एकराय एकजुट होकर वादी को उसके हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा करने पर सहमत नहीं हैं। इस कारण वादी के लिए आवश्यक हो गया हैं कि वह अपने

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

हिस्से की भूमि का विधिवत् तकास्मा करवा ले तथा अपनी पृथक जमाबंदी तैयार करवा ले। जिसके लिए श्रीमान् के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 की ओर से अधिवक्ता श्री नन्दकिशोर शर्मा ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं। उक्त वर्णित भूमि में किये गये पारिवारिक बंटवारे अनुसार वादी का उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं है। प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि पर वर्षो पूर्व किये गये बंटवारे अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि वादी का उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त रूप से लगभग 22–23 बीघा भूमि है। जिसका वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने वर्षो पूर्व ही बंटवारा कर रखा था। जिसके अनुसार ही पक्षकारान् काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी नाजायज रूप से प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से केवल 02 खसरा नम्बरों के बंटवारे का दावा पेश किया हैं। जो गलत है। वादी का उसके हिस्से अनुसार अन्य भूमि पर कब्जा काश्त है। इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा अपनी सम्पूर्ण शामलाती भूमि के बंटवारे का दावा किया जावेगा। इस कारण वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पीपलू में पेश होने से वादी व प्रतिवादीगण की सहमति दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार पीपलू को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया था, साथ ही तहसीलदार पीपलू को आदेशित किया जाता हैं उक्तानुसार मय नक्शा ट्रेस के दो–दो प्रतियों में तकास्मा रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय हाजा को भिजवावें। उक्तानुसार तकास्मा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तहसीलदार पीपलू के पत्रांक–भू.अ./2020/395 दिनांक 11.02.2020 से कार्यालय हाजा को प्राप्त हो चुकी हैं।

अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने पत्र आपत्ति बाबत् तकास्मा रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट गलत है, क्योंकि उपरोक्त तकास्मा रिपोर्ट प्रथमतः तहसीलदार, पीपलू द्वारा तैयार नहीं की गई हैं, जबकि राजस्व नियमानुसार तकास्मा रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार, द्वारा पक्षकारों की मोजूदगी में तैयार की जानी चाहिए। उपरोक्त तकास्मा रिपोर्ट जब बनायी गई तो प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की सचूना नहीं दी गई पक्षकारों में बिना सूचना के तकास्मा रिपोर्ट तैयार की गई है जो विधिविरूद्ध हैं। मौके पर वादी का केवल 06 बिस्वा भूमि पर कब्जा हैं। तकास्मा रिपोर्ट में वादी को 09 बिस्वा भूमि दी गई है जो मुताबिक कब्जा के अधिक भूमि है जिससे पक्षकारों के बीच विवाद होने की संभावना है। मौके पर प्रतिवादी न. 04 का 00–17 बीघा पर व प्रतिवादी संख्या 05 का 00–17 बीघा, प्रतिवादी संख्या 06 का 00–17 बीघा, प्रतिवादी संख्या 07 का 00–13 बीघा, प्रतिवादी संख्या 08 का 01–02 बीघा भूमि पर कब्जा हैं तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का 00–13 बीघा पर व 00–01 बीघा शामलाती भूमि हैं तथा पक्षकारान् मौके पर इसी अनुरूप काबिज होकर अपने–2 खेत बनाकर काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन जो तकास्मा रिपोर्ट तैयार की गई हैं जो कब्जे अनुसार नहीं हैं। अतः प्रा0पत्र आपत्ति तकास्मा रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि पक्षकारों की मोजूदगी में पुनः तकास्मा रिपोर्ट तैयार किये जाने का आदेश

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

प्रदान करें। अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी ने अपनी जवाबी बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य गलत हैं। न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुक्रम में ही तकास्मा रिपोर्ट तैयार की गई हैं। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटी नहीं है। जितना हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम अंकित था उतना रकबा ही वादी को बंटवारे में दिया गया है। जिस पर प्रतिवादीगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं हैं। न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण को किसी तरह की कोई आपत्ति थी तो उन्हें पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा सक्षम स्तर पर कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत आपत्ति चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन और विधिहीन होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का मुख्य तर्क यह था कि प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट कब्जे अनुसार तैयार नहीं की गई। इसलिए प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पुनः मंगवायी जावें। पत्रावली, प्राथमिक निर्णय व प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2018 की पालना में प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पर तहसीलदार पीपलू के पत्र से न्यायालय को प्राप्त हुई हैं। जिस पर तहसीलदार पीपलू के हस्ताक्षर हैं। जिससे स्पष्ट हैं कि तकास्मा रिपोर्ट तहसीलदार पीपलू द्वारा ही तैयार की गई हैं एवं उक्त वर्णित आराजीयात में जितना हक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम अंकित था उतना ही हिस्सा वादी को बंटवारे में दिया गया है। जिससे स्पष्ट हैं कि उक्त तकास्मा रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटी नहीं है। राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 कैम्प कोर्ट पीपलू में वादी व प्रतिवादीगण की सहमति से दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार पीपलू को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया था। उक्तानुसार ही तकास्मा रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी का मुख्य तर्क यह रहा कि तकास्मा रिपोर्ट कब्जे अनुसार तैयार नहीं की गई तथा वादी को 00–06 बीघा कब्जा से अधिक 00–09 बीघा भूमि दी गई है/किन्तु तकास्मा रिपोर्ट प्राथमिक निर्णय की पालना में तैयार की गई है। प्रकरण में पारित प्राथमिक डिक्री की अपील भी पक्षकारों द्वारा नहीं की गई हैं।उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया जाकर वाद बाबत् तकास्मा आराजीयात स्वीकार किया जाकर वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम पीपलू पटवार हल्का पीपलू में स्थित भूमि आराजी ख0न0 1375/1 रकबा 00–09 बीघा, ख0न0 1376/1 रकबा 00–04 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 00–13 बीघा प्रतिवादी संख्या 06 गोपी पुत्र उद्दा जाति माली सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगी। भूमि आराजी ख0न0 1375/2 रकबा 00–09 बीघा, ख0न0 1376/2 रकबा 00–04 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 00–13 बीघा प्रतिवादी संख्या 04 सूरज पुत्र उद्दा जाति माली सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगी। भूमि आराजी ख0न0 1375/4 रकबा 00–17 बीघा प्रतिवादी संख्या 08 किशनलाल पुत्र उद्दा जाति माली सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगी। भूमि आराजी ख0न0 1375/5 रकबा 00–13 बीघा प्रतिवादी संख्या 05 बोदीराम पुत्र उद्दा जाति माली सा.देह खातेदार राहिन सेन्ट्रल बेंक ऑफ

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

इण्डिया शाखा पीपलू के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगी। भूमि आराजी ख0न0 1375/6 रकबा 00–12 बीघा व ख0न0 1376/3 रकबा 00–01 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 00–13 बीघा प्रतिवादी संख्या 07 कजोड़लाल पुत्र उ‌द्दा जाति माली सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 1376/4 रकबा 00–05 बीघा, ख0न0 1375/7 रकबा 01–00 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 01–05 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 कन्हैयालाल, रामजीलाल पुत्र ग्यारसीलाल, सीता बेवा ग्यारसीलाल जाति माली सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगी। भूमि आराजी ख0न0 1375/8 रकबा 00–09 बीघा वादी नन्दकिशोर पुत्र ग्यारसीलाल जाति माली सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 1375/3 रकबा 00–01 बीघा वादी व प्रतिवादीगण नन्दकिशोर, रामजीलाल, कन्हैयालाल पि0 ग्यारसीलाल, सीता बेवा ग्यारसीलाल हि. 1/3, किशनलाल पुत्र उद्दा हि. 1/6, सूरज, गोपी, कजोड़लाल पुत्र उद्दा हि. 3/8 बिना रहन, बोदीराम पुत्र उद्दा हि. 1/8 रहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीपलू जाति माली सा.देह खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)